न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीनअधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 06/2018

अनवान : —

1. रेडा पुत्र गनी जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गांधीवड़ी तहसील भादरा।

अपीलांट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत गांधीबडी तहसील भादरा।
2. लिछमण पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी गांधीवड़ी त0 भादरा।
3. जरीना बेवा दारा खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गांधी वड़ी त0 भादरा।
4. असलम पुत्र दारा खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गांधी वड़ी त0 भादरा।
5. जावेद पुत्र दारा खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गांधी वड़ी त0 भादरा।
6. सुमन पुत्री दारा खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गांधी वड़ी त0 भादरा।
7. जेबुना पुत्री दारा खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गांधी वड़ी त0 भादरा।
8. नसीरा पुत्री दारा खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गांधी वड़ी त0 भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

—रेस्पॉडेन्टस

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट

उपस्थिति :—श्री दीवानसिंह **अपीलाण्ट**

निर्णय दिनांकः 30-1-23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व रेस्पॉडेन्टस सं0 3 के पति व 4 ता 8 के पिता दारा खां दोनो सगे भाईयों की अपनी संयुक्त खातेदारी चक 6 एसडीआर में स्थित है। अपीलार्थी रेड़ा व उसके भाई दारा ने जरिये बैयनामा 1 बीघा कृषि भूमि रेस्पॉडेन्टस सं0 2 लिछमण के पक्ष में दिनांक 04.01.1995 नामान्तरण सं0 278 से बैय कर दी। लेकिन रेस्पॉडेन्टस सं0 2 ने नामान्तरण सं0 278 तस्दीक होने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों से सही तथ्य छुपाकर उसी बैयनामा दिनांक 22.06.1994 के आधार पर एक पुनः नामान्तरण सं0 428 दिनांक 20.08.2002 द्वारा अपने पक्ष में एक बिघा और दर्ज करवा ली। इस प्रकार रेस्पॉडेन्टस सं0 2 ने एक बैयनामा के आधार पर 20 हिस्सा अर्थात् 1 बीघा भूमि अपीलांट रेड़ा तथा उसके भाई दारा के हिस्से से कानून गलत दर्ज करवा ली। अतः नामान्तरण सं0 428 दिनांक 20.08.2002 विधि विरूद्व गलत दर्ज होने के कारण अपास्त व निरस्त योग्य है। चूकिं अपीलार्थी भोला भाला व अनपढ़ व्यक्ति है जिसे उक्त नामान्तरण की जानकारी होते ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट मय मियाद अधिनियम की धारा 5 व 96 सीपीसी के साथ न्यायालय में पेश की है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने पर रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अपील को स्वीकार करने पर सहमती प्रकट की।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील अपीलांट सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अपीलार्थी व रेस्पॉडेन्टस सं0 3 के पति व 4 ता 8 के पिता दारा खां दोनो सगे भाईयों की अपनी संयुक्त खातेदारी चक 6 एसडीआर में स्थित है। अपीलार्थी रेड़ा व उसके

भाई दारा ने जरिये बैयनामा 1 बीघा कृषि भूमि रेस्पॉडेन्टस सं0 2 लिछमण के पक्ष में दिनांक 04.01.1995 नामान्तरण सं0 278 से बैय कर दी। लेकिन रेस्पॉडेन्टस सं0 2 ने नामान्तरण सं0 278 तस्दीक होने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों से सही तथ्य छुपाकर उसी बैयनामा दिनांक 22.06.1994 के आधार पर एक पुनः नामान्तरण सं0 428 दिनांक 20.08.2002 द्वारा अपने पक्ष में एक बिघा और दर्ज करवा ली। इस प्रकार रेस्पॉडेन्टस सं0 2 ने एक बैयनामा के आधार पर 20 हिस्सा अर्थात् 1 बीघा भूमि अपीलांट रेड़ा तथा उसके भाई दारा के हिस्से से कानून गलत दर्ज करवा ली। अतः नामान्तरण सं0 428 दिनांक 20.08.2002 विधि विरूद्व गलत दर्ज होने के कारण अपास्त व निरस्त योग्य है। तथा प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर उक्त नामान्तरण सं0 428 दिनांक 20.08.2002 को अपास्त व निरस्त किया जाने का निवेदन किया।

अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों व जवाब के साथ–साथ नामान्तरण प्रतियों का अवलोकन किया गया। किसी भी अपील का निर्णय करने से पहले दफा 5 मियाद अधिनियम पर निर्णय करना आवश्यक होता है। चूंकि उक्त अपील नामान्तरण दर्ज के बाद पेश की गई है लेकिन रेस्पॉडेण्टस के द्वारा अपील को स्वीकार करने के लिए सहमती प्रदान की गई है। अतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व रेस्पॉडेण्टस सं0 3 के पति तथा 4 ता 8 के पिता द्वारा किये गये बैयनामा दिनांक 22.06.1994 के आधार पर नामान्तरण सं0 278 दिनांक 04.01.1995 रेस्पॉडेण्टस सं0 2 के पक्ष में तस्दीक किया गया है। लेकिन उसी बैयनामा के आधार पर एक अन्य नामान्तरण सं0 428 दिनांक 20.08.2002 भी लिछमण के पक्ष में तस्दीक किया गया है। जो कानून रूप से कतई वैध नहीं है। इस प्रकार एक ही बैयनामा के आधार पर दो नामान्तरण दर्ज होने के कारण अपीलार्थी के हिस्से से दो बार भूमि कम कर दी गई है। अतः नामान्तरण सं0 428 जो लिछमण के पक्ष में तस्दीक किया गया है , विधि विरूद्व होने के कारण काबिल खारिज है।

उपरोक्त विवेचानुसार व दस्तावेजों के आधार पर अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे नामान्तरण रजिस्ट्रर पुनः खोलकर नामान्तरण सं0 428 दिनांक 20.08.2002 को अपास्त करें तथा अपीलार्थी को सुना जाकर उसके हिस्से की भूमि को राजस्व रिकार्ड में पुनः दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30-1-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़